

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-16570 / 111(1) / 16-09(102)सा0 / 16
देहरादून, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

सरकार द्वारा बॉर्डर ऐरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत इण्डो नेपाल बॉर्डर पर स्वीकृत प्रस्तावित टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग के किमी 0 01 से 55 के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 252.81 करोड की स्वीकृति के सापेक्ष प्राप्त रू0 200.00 करोड अवमुक्त किया गया है। वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से भारत सरकार की अपेक्षानुसार पूर्ण किये जाने की दृष्टि से टनकपुर जनपद चम्पावत स्थित "दुलीगाड" में एक समर्पित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) का एतद्वारा गठन किया जाता है।

2- पी0आई0यू0 के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग के ढांचे में पूर्व से सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों में से निम्नलिखित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती
1	2	4	3
1.	श्री बी0सी0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
2.	श्री अनुपम राय, सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
3.	शुश्री नीतू सिंह, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
4.	श्री पी0सी0 पन्त, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
5.	श्री वी0एस0 पोखरिया, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
6.	श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
7.	श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
8.	श्री प्रेम सिंह नबियाल, कनिष्ठ अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
9.	श्री मुकेश जकारिया, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।
10.	श्री.हरीश जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, दुलीगाड, टनकपुर, चम्पावत।

3- समर्पित परियोजना इकाई में तैनात किये जा रहे अधिशासी अभियन्ता द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को प्रदत्त अधिकारियों के समान ही अधिकारों का उपभोग किया जायेगा। कार्य की स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण आदि दृष्टिकोण से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता प्रश्नगत परियोजना के सन्दर्भ में भी कर्तव्यों का निर्वहन एवं अधिकारों का उपभोग करेंगे।

4- लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती उनके मूल प्रस्ताव संख्या-2172 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार अपने स्तर से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

5- प्रश्नगत परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) का गठन योजना विशेष हेतु किया जा रहा है। योजना की समाप्ति पर यह व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव

संख्या- 1650 / 111(1) / 16-09(102)सा0 / 16 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त कुमोऊ मण्डल, नैनीताल।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, चम्पावत।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

पृष्ठांकन संख्या- 2314/05व्यक-सा0/15

दिनांक 27/12/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर/चम्पावत/लोहाघाट/खटीमा।
4. श्री बी0सी0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर।
5. श्री अनुपम राय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।
6. सुश्री नीतू सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।
7. श्री पी0सी0 पन्त, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

26/12/16
अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोहाघाट विभाग, उत्तराखण्ड
27/12/16

प्रेषक,

डी०एस० गब्र्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय- लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में निःसंवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2831/111(1)/13-70(अधि०)/05, दिनांक 26.12.13, शासनादेश संख्या-1642/111(1)/13-01(05)/2013, दिनांक 09.09.2013 शासनादेश संख्या-759/111(1)/12-70(अधि०)/05, दिनांक 09.08.12, एवं शासनादेश संख्या-228/111(1)/10-70(अधि०)/05, दिनांक 31.05.10 के द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई० एवं ए०डी०बी० के निर्माण कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के निःसंवर्गीय पद सृजित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-568/03व्यक- सा०/14, दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संवर्गीय, पी०एम०जी०एस०वाई०, ए०डी०बी० तथा वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त वृत्त/खण्ड/पदों की पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3. विभागीय स्तर से प्राप्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय एवं संवर्गीय दोनों प्रकार से पद सृजित हैं। चूंकि पी०एम०जी०एस०वाई० की योजना पूर्णरूपेण ग्रान्थ विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो गई है, इस दृष्टिगत इस संवर्ग के अन्तर्गत सृजित 152 संवर्गीय पदों एवं 76 सृजित निःसंवर्गीय पदों कुल 228 पदों को एकीकृत करते हुये निःसंवर्गीय पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 26.12.2013, 09.08.2012 एवं 31.05.2010 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष पूर्व में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सृजित संवर्गीय पदों को सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त निःसंवर्गीय पद खण्ड/वृत्त में तालिका के स्तम्भ-5 एवं स्तम्भ-6 में इंगित अस्थायी पद, प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.16 तक बशर्त कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, को सृजित/परिवर्तित/संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

